

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्  
(राजीविका)


तृतीय तल - आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर  
फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

क्रमांक: प. 12 (6)आरजीएवीपी/2013/3308-55

दिनांक:- 10-3-14

कार्यालय आदेश

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में क्षमता निर्माण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय से समय-समय पर मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सभी जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक उनके क्षेत्र में सामुदायिक संस्थाओं, सामुदायिक कैंडर तथा अन्य स्टेक होल्डर्स की क्षमता निर्माण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यशालाओं का मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी ढंग से समयबद्ध आयोजन सुनिश्चित करें। इसके लिए राज्य इकाई से अनुमोदन आवश्यक नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

 7/3/14

(राजीव सिंह ठाकुर) आई.ए.एस.  
शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर  
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह

क्रमांक: प. 12 (6)आरजीएवीपी/2013/3308-55

दिनांक:- 10-3-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, राजीविका।
3. परियोजना निदेशक (एल.पी. एंड एस.एच.जी./मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन), मुख्यालय, जयपुर
4. समस्त महाप्रबन्धक/विशेषज्ञ, एसपीएमयू
5. जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् समस्त



(हरदीप सिंह चौपड़ा)  
परियोजना निदेशक  
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह